



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3259

दिनांक : 08.12.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानियों कान्टेनमेण्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया शासन के संलग्न पत्र संख्या-5589/सत्तर-3-2020-08(35)/2020 दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों/गाइडलाइन के आधार पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त केक्रम में शासन के पत्र के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शासन के संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुये अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थान/विभाग में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
05. प्रभारी, वेबसाइट


कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2358/2020-सीएक्स-3, दिनांक 30.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- कोविड-19 के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 के सक्रिय केस में निरंतर कमी आ रही है। विगत कुछ सप्ताह में राज्य के कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय केस में कतिपय वृद्धि होने के भी संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में त्योहार सीजन, शीतकाल के आगमन तथा कतिपय क्षेत्रों में कोविड-19 विषयक प्रोटोकाल व निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बरती जा रही किंचित लापरवाही के दृष्टिगत इस महामारी के पुनः प्रसार होने की सम्भावना हो सकती है। ऐसे में पूर्ण सावधानी बरते जाने, कन्टेनमेन्ट कार्य योजना को और सख्ती से लागू किए जाने, कन्टेनमेन्ट जोन की निरन्तर निगरानी किए जाने तथा पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आलोकन करते हुए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट मानदण्डों की सख्ती से अनुपालन कराए जाने तथा स्थानीय स्तर पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाने हेतु भी उत्तरदायित्व दिए जाने की आवश्यकता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के उक्त पत्र दिनांक 30.11.2020 में दिए गए दिशा-निर्देशों/ एडवाइजरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या-5589 (1)/सत्तर-3-2020, तदुदिनांक:-

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

संख्या-2358/2020-सीएक्स-3

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2020

विषय:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 25.11.2020 के दृष्टिगत कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिशा-निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 25.11.2020 द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- कोविड-19 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 के सक्रिय केस में निरन्तर कमी आ रही है। विगत कुछ सप्ताह में राज्य के कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय केस में कतिपय वृद्धि होने के भी संकेत मिले हैं। वर्तमान में त्योहार सीजन, शीतकाल के आगमन तथा कतिपय क्षेत्रों में कोविड-19 विषयक प्रोटोकाल व निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बरती जा रही किंचित लापरवाही के दृष्टिगत इस महामारी के पुनः प्रसार होने की सम्भावना हो सकती है। ऐसे में पूर्ण सावधानी बरते जाने, कन्टेनमेन्ट कार्य योजना को और सख्ती से लागू किये जाने, कन्टेनमेन्ट जोन की निरन्तर निगरानी किए जाने तथा पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करते हुये कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन कराये जाने तथा स्थानीय स्तर पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाने हेतु भी उत्तरदायित्व दिए जाने की आवश्यकता है।

3- विगत कुछ माह में आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी हैं तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (SOP) तय किये गये हैं। कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाल तथा अपेक्षित सावधानियों बरतने के साथ-साथ इन आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों को जनहित में जारी रखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-2135/2020-सी0एक्स0-3, दिनांक 01.10.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को यथा संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. **कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित आचरण (Appropriate behaviour)**

- (i) कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन हेतु आवश्यक उपाय किए जाए।
- (ii) मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाए।
- (iii) भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा मार्केट, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित SOP अपनायी जाए।

- (iv) वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत SOP का सख्ती से अनुपालन किया जाए। बस, नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।
- (v) इस विषय में National directives for COVID-19 Management संलग्नक-1 में उद्धृत है।

2. **सर्विलांस एवं कन्टेनमेन्ट -**

- (i) कोविड-19 के लिए संवेदनशील (Vulnerable) एवं उच्च सम्भावना वाले क्षेत्रों (High incidence areas) में कोविड वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी ढंग से चिन्हांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शासन स्तर से इस विषय पर निर्गत शासनादेश संख्या-2360/2020-सीएक्स-3, दि० 26.11.2020 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कन्टेनमेन्ट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाय। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची जिलाधिकारी द्वारा राज्य की वेबसाईट पर अंकित/प्रसारित भी की जाए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।
- (ii) कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-
 - (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
 - (b) कन्टेनमेन्ट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
 - (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलांस टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
 - (d) निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।
 - (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्टैक्ट ट्रेसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हांकन, ट्रेसिंग, क्वारन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये। (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे के अन्दर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए।)
 - (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आइसोलेट (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेट) करते हुए चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
 - (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की सतत निगरानी रखी जाए।
 - (h) ILI/SARI के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मोबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रिय किए जाने पर विचार किया जाए।
 - (i) कोविड-19 से सम्बन्धित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

(iii) कन्टेनमेन्ट जोन के निर्धारित मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन, पुलिस व स्थानीय निकाय के अधिकारियों का होगा।

3. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियां -

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों के विषय में शासनादेश संख्या-2135/2020-सी0एक्स0-3, दिनांक 01.10.2020 के प्रस्तर-1(i) से (vi) एवं (viii) में निर्दिष्ट प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। मात्र प्रस्तर (vii) (कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक गतिविधियों के विषय में) में निर्दिष्ट प्रावधानों को शासनादेश संख्या-2337/2020-सी0एक्स0-3, दिनांक 23.11.2020 द्वारा निम्नवत संशोधित किया गया है:-

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

उपरोक्तानुसार कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर गतिविधियां अनुमन्य की जाएगी।

4. स्थानीय प्रतिबन्ध

(i) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी राज्य अथवा अन्य जिला/सब डिवीजन/नगर प्रशासन द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। यद्यपि कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिस्थितियों का आकलन करते हुये स्थानीय प्रतिबन्ध (यथा रात्रि कर्फ्यू आदि) लागू किया जा सकता है।

(ii) कार्यालयों में भी सामाजिक दूरी के मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे शहरों में जहाँ कोविड-19 पाजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ एक ही समय पर उपस्थित कार्मिकों की संख्या को कम रखने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन विखण्डित कार्यालय समय प्रबन्धन (Staggered office timing) अथवा अन्य समुचित प्रबन्धन पर विचार कर निर्णय लेगा।

5. अन्तर्राज्यीय (Inter-state) एवं राज्य के अन्दर (Intra-state) आवागमन

अन्तर्राज्यीय (Inter-state) एवं राज्य के अन्दर (Intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

6. विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत SOP का अनुपालन

समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों हेतु शासन स्तर से SOP/मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ड्स, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क्स, योगा केन्द्र, व जिम तथा सभा एवं सभागम आदि हैं। सम्बन्धित अधिकारियों, जो इसके पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, के द्वारा इनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. संकमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुस्का-

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुगणता (co-morbidity) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों, सिवाय ऐसी

परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।

8. आरोग्य-सेतु मोबाइल एप्लीकेशन व आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग--

- (i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरुआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।
- (ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कर्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।
- (iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- (iv) 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं को Aarogya Setu OpenAPI सेवा प्रोत्साहित करेगी। (Email ID-https://openapi.aarogyasetu.gov.in)। यह व्यवस्था संगठनों और कर्मचारियों को कोविड-19 के जोखिममुक्त वातावरण में काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करेगी।

9. दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

- (i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
- (ii) सोशल-डिस्टन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा-144 CrPC 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए।

10. दण्डात्मक प्रावधान

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 200 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्रावधानों के उद्घरण (संलग्नक-2) में दिये गये हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देश दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

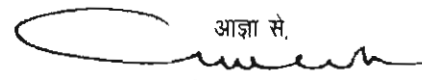
संलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाइन्स जारी करने का कष्ट करें।


(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।